**राजस्थान सरकार**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग**

क्रमाकःपं012(1)चिस्वा/2/2019 जयपुर,दिनांकः 15-2-19

## परिपत्र

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि निदेशालय स्तर से चिकित्सको के राज्य सेवा से लम्बे समय तक अनुपस्थित चिकित्सक के अवकाश स्वीकृत एवं कार्यग्रहण कराने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते है। सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुपस्थित चिकित्सक का प्रस्ताव निदेशालय में भेजे जाने पर भी निदेशालय में प्रकरण 06 माह से भी अधिक समय तक लम्बित रखे जा रहे है, जिसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया है। अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को अविलम्ब शासन स्तर पर भेजने हेतु समस्त नियंत्रण अधिकारियों (निदेशक (जन स्वा)/ अति निदेशक/संयुक्त निदेशक) को निम्नानुसार कार्यवाही कराने हेतु पाबन्द किया जाता है –

1– चिकित्सक की अनुपस्थित अवधि 90 दिवस से कम होने के उपरान्त भी कार्यग्रहण हेतु मार्गदर्शन हेतु पत्रावली निदेशालय को प्रेषित करने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावें।

2– चिकित्सक की अनुपस्थित अवधि 90 दिवस से अधिक होने पर प्रायः ये देखने में आया है कि प्रकरण निदेशालय स्तर पर 06 माह से भी अधिक समय से लम्बित रहते है। निदेशालय स्तर पर प्रकरण में विलम्ब के लिए संबंधित कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावें एवं ऐसे प्रस्ताव अविलम्ब शासन स्तर पर प्रेषित किये जाने सुनिश्चित किया जावें।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1–विशिष्ठ सहायक,माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2–विशिष्ठ सहायक,माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
3–निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4–समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
5–समस्त संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
6–समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7–समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8–प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9–रक्षित पत्रावली।

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव